

:: कार्यलय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ::

:: आदेश ::

निर्देशानुसार तिल्लपर अॉक स्कूल, जयपुर रोड, अलवर को राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम-1993 एवं तदनुषंगान्त किन्हीं न्यूनतम मान्यता के अन्तर्गत प्रस्तावित शक्तियों का उपयोग करते हुए सन् 2000-2001 से उच्च प्राथमिक स्तर की स्थाई मान्यता अंशिक माध्यम से प्रदान की जाती है।

मान्यता नियमों की पालना न करते अथवा तदनुषंगान्त अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत स्थिति पाये जाये पर संस्था की मान्यता रद्द की जा सकती है।

अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

क्रमांक-शिक्षा/प्रार/प्रथ/ती/19403/91/488

दिनांक 17/1/2000

प्रतिलिपि निम्न को सूचनायै :-

- 1- उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा-प्रथम, अलवर।
- 3- तिल्लपर अॉक स्कूल, जयपुर रोड, अलवर।
- 4- रक्षित बनावली।

अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

For Himalya Sankhaha Samiti

Secretary

Principal
Silver Oak School
Main Jaipur Road
Alwar (Raj.)

मॉडल-9 परिशिष्ट

विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा सह प्रार्थना-पत्र

नियम 11 के उपनियम (1) देखें

निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा अलंवर

राजस्थान

श्रीमान्


मैं निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदण्डों की अनुपालना में स्वघोषणा एवं निर्धारित प्रोफार्मा में मान्यता हेतु आवेदन पत्र (विद्यालय का नाम) सिल्वर ओक स्कूल, जयपुर रोड, अलवर विद्यालय प्रारम्भ होने की दिनांक अग्रेषित करता हूँ।

संलग्नक:

स्थान:- अलवर

दिनांक:-

19-2-14



Principal
Silver Oak School
Main Jaipur Road
Alwar (Raj.)

For Himalya Shiksha Samiti

प्रबंध समिति मैनेजर/अध्यक्ष

Secretary

For Himalya Shiksha Samiti


Secretary